

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 264/2025

अनिता पत्नी नेमीचन्द, जाति मेघवाल, निवासी बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू राज०।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मण्डावा तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू राज०।

—रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बदालत तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी सरकार बनाम अनिता मु०नं० 16/2023 अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 23.08.2024

उपस्थित :-

- श्री विजयपाल, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
- श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.12.2025


प्रस्तुत अपील तहसीलदार, नवलगढ के आदेश दिनांक 23.08.2024 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि०अ० एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि०अ० पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा०प० दफा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनू ने अपीलान्ट को भूमि खसरा नं० 538/146 रकबा 3.57 है० किस्म गैर मुमकिन चारागाह सरहद मौजा बहादुरवास, जिला झुंझुनू में 0.02 है० पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व आर्थिक दण्ड स्वरूप लगानम का 50 गुणा तावान राशि 11 रुपये बतौर पैनेल्टी से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह प्रथम अपील तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनू के निर्णय दिनांक 23.08.2024 के विरुद्ध नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय और जैर बहस दिनांक 23.08.2024 खिलाफ कानून, न्याय है। अपीलान्ट के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट के पति के हक में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.1991 का जारी किया गया पट्टा है। अपीलान्ट अपने पट्टेशुदा भूमि पर हक से काबिज है। अपीलान्ट का कब्जा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा संभालवाये गये स्थान पर है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा ईजाजतन है। अपीलान्ट का कब्जा पुराना है। निर्णय में वर्णित उच्चतम न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट के प्रकरण में लागू नहीं होता। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के आधार पर मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नहीं की गई है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की साल संवत दर्ज नहीं है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट दिनांक 22.03.2023 को अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और लिखित आवेदन के मार्फत जवाब नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। इस पर अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2023 दी गई। उक्त नियत पेशी पर अपीलान्ट अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां उपस्थित हुई तो पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को मौखिक कहा कि वे प्रकरण की जांच करवा रहे


जिला कलक्टर झुंझुनू

हैं और पुनः नोटिस देकर बुलाया जावेगा। इसके बाद अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा ने प्रकरण को दिनांक 12.06.2023 की पेशी में लेकर दिनांक 26.06.2023 को अपीलान्त को अनुपस्थित दर्ज कर दिया और पत्रावली को नायब तहसीलदार मण्डावा अदालत मातहत के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दी गई। नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद पुनः पत्रावली को दिनांक 30.04.2024 को नायब तहसीलदार मण्डावा से तहसीलदार मण्डावा को स्थानान्तरित कर दी गई। प्रकरण को तहसीलदार से नायब तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से तहसीलदार को स्थानान्तरित करने की सूचना अपीलान्त को नहीं दी गई और दिनांक 23.08.2024 को एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 22.03.2023 की आदेशिका पर अपीलान्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना दर्ज है जबकि अपीलान्त ने उक्त पेशी पर जवाब प्रस्तुत ही नहीं किया था। इस प्रकार अपीलान्त के सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर अदालत मातहत ने विधि की अवहेलना की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्त के पति के हक में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.1991 का जारी किया गया पट्टा है। अपीलान्त अपने पट्टेशुदा भूमि पर हक से काबिज है। अपीलान्त का कब्जा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा संभालवाये गये स्थान पर है। इस प्रकार अपीलान्त का कब्जा ईजाजतन है। अपीलान्त का कब्जा पुराना है। निर्णय में वर्णित उच्चतम न्यायालय का निर्णय अपीलान्त के प्रकरण में लागू नहीं होता। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के आधार पर मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नहीं की गई है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की साल संवत दर्ज नहीं है। अपीलान्त के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्त दिनांक 22.03.2023 को अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और लिखित आवेदन के मार्फत जवाब नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। इस पर अपीलान्त को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2023 दी गई। उक्त नियत पेशी पर अपीलान्त अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां उपस्थित हुई तो पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्त को मौखिक कहा कि वे प्रकरण की जांच करवा रहे हैं और पुनः नोटिस देकर बुलाया जावेगा। इसके बाद अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा ने प्रकरण को दिनांक 12.06.2023 की पेशी में लेकर दिनांक 26.06.2023 को अपीलान्त को अनुपस्थित दर्ज कर दिया और पत्रावली को नायब तहसीलदार मण्डावा अदालत मातहत के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दी गई। नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद पुनः पत्रावली को दिनांक 30.04.2024 को नायब तहसीलदार मण्डावा से तहसीलदार मण्डावा को स्थानान्तरित कर दी गई। प्रकरण को तहसीलदार से नायब तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से तहसीलदार को स्थानान्तरित करने की सूचना अपीलान्त को नहीं दी गई और दिनांक 23.08.2024 को एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 22.03.2023 की आदेशिका पर अपीलान्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना दर्ज है जबकि अपीलान्त ने उक्त पेशी पर जवाब प्रस्तुत ही नहीं किया था। इस प्रकार अपीलान्त के सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर अदालत मातहत ने विधि की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलान्त मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्त ने ग्राम बहादुरवास स्थित भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह मे से 0.04 है0 भूमि मे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्त ने जो पट्टा पेश किया है वह विवादित भूमि का नहीं है।


जिला कलक्टर मुन्सू

अदालत मातहत मे अपीलान्त की समुचित रूप से तामिल हुई है एवं अपीलान्त की जबाबदेही आई है। विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्त का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्त को ग्राम बहादुरवास स्थित भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह मे से 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्त का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 22.03.2023 मे अपीलान्त द्वारा जबाब पेश करना बताया है जबकि उक्त दिवस को अपीलान्त अदालत मातहत मे उपस्थित हुआ था। अपीलान्त ने उस रोज कोई जबाब पेश नहीं किया। अपीलान्त ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर जबाब हेतु अवसर चाहा था। अपीलान्त की मातहत मे समुचित रूप से सुनवाई नहीं की गई है। अपीलान्त अपनी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है। अपीलान्त ने कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया है। अदालत तहसीलदार, मण्डावा द्वारा प्रकरण को अदालत नायब तहसीलदार मे स्थानान्तरित करने की कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त की गलत रूप से अनुपस्थिति दर्शाई जाकर व बिना सुने आदेश पारित किया गया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात् पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 22.03.2023 मे जबाब पेश किये जाने का अंकन भी गलत है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 07.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत अपीलान्त द्वारा बताये जा रहे पट्टे की जांच करते हुये एवं अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अदालत मातहत को यह भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे न्यायालय मे लिखी जाने वाली आदेशिका मे सही तथ्यों को अंकन किया जावे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलकत्ता, बांग्लादेश